न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.क्रमांक-60 / 2013 संस्थित दिनांक—04.09.2013

श्रीमति चित्ररेखा तुरकर पति जागेश्वर साकिन दरबारीटोला, बिरसा, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आवेदिका / / <u>विर</u>ुद्ध / / जागेश्वर पिता दुर्गाप्रसाद, जाति पंवार, निवासी-दरबारी टोला, बिरसा, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आ दे श (आज दिनांक-04/04/2015 को पारित)

- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का निराकरण किया जा रहा है।
- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका, प्रत्यर्थी की विवाहित पत्नी है 2-तथा उनके दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र गौरव एवं पुत्री वैशाली उत्पन्न हुए हैं। वर्तमान में आवेदिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत् है।
- आवेदिका का आवेदन इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी से उसके विवाह को 10 3-वर्ष हो चुके हैं। विवाह के 2-4 माह से ही उसे प्रत्यर्थी और उसके परिवार द्वारा उससे झगड़ा कर प्रताड़ित किया जाने लगा। गांव वाले व परिवार वालों की सलाह से प्रत्यर्थी व आवेदिका अलग रहने लगे, किन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा प्रताड़ित करना बंद नहीं किया गया। प्रत्यर्थी उसके बच्चों के सामने अश्लील गालियां देकर व शर्मनाक हरकत कर उसे मारपीट करता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी ने आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित की। आवेदिका ने प्रत्यर्थी से अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निवास आदेश, धारा 20 के अंतर्गत

भरण—पोषण, मौद्रिक अनुतोष तथा धारा—22 के अंर्तगत स्त्रीधन की क्षति हेतु प्रतिकर दिलवाए जाने का अनुतोष चाहा है।

4— आवेदन के जवाब में प्रत्यर्थी की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने आवेदिका के साथ किसी प्रकार का दुर्वव्यहवार या चिरत्र पर आक्षेप नहीं लगाया और न ही कभी अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर किया। प्रत्यर्थी गरीब व अशिक्षित होने से तथा आवेदिका द्वारा उसके मॉ—बाप पैसे वाले होने का कहकर मायके में निवास करने हेतु परेशान करती थी। आवेदिका को प्रति माह 1500/—रूपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलाबा वह सिलाई का काम करके आय प्राप्त करती है। आवेदिका स्वयं प्रत्यर्थी के साथ दामपत्य जीवन निर्वाह नहीं करना चाहती तथा बिना कारण से अपने बच्चे सहित मायके में निवास कर रही है। आवेदिका ने प्रत्यर्थीगण पर निराधार एवं झूंठा लांझन लगाकर आवेदन पेश किया है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

:- 🎢 आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

- (1) क्या आवेदिका के साथ प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गई है ?
- (2) क्या आवेदिका, प्रत्यर्थी से भरण पोषण एवं प्रतिकर की राशि प्राप्त करने की हकदार है ?
- (3) वादव्यय एवं सहायता ?

विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण

6— आवेदिका चित्ररेखा (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने विवाह के पश्चात् प्रताड़ित करता रहा। उसके बच्चे होने के बाद भी प्रत्यर्थी, सास—ससुर के द्वारा उसके मायके से पैसे मांग कर परेशान किया जाता था। जब वह प्रत्यर्थी के साथ अलग मकान में रहने लगी तब भी प्रत्यर्थी उसे शराब पीकर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। उसे प्रत्यर्थी ने अपने घर से निकाल दिया तो वह अपने बच्चों के साथ बिरसा में अलग किराए के मकान में रह रही है और स्वयं के साथ अपने बच्चों की परवरिश करते हुए बच्चों की पढ़ाई—लिखाई भी करवा रही है। वह अपने स्वयं का तथा बच्चों की परवरिश व पढ़ाई—लिखाई का खर्च पूरा नहीं कर सकती है। प्रत्यर्थी मलाजखण्ड में नौकरी कर 6,470/—रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता है, जिसके संबंध में उसका वेतन

प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-1 है। प्रत्यर्थी से उसे भरण-पोषण राशि के अलावा पृथक आवास एवं उसके स्त्रीधन व दहेज का सामान दिलाया जाए।

- 7— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 1500/—रूपये प्रति माह वेतन मिलता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रत्यर्थी के बूढ़े मॉ—बाप उसके साथ में रहते हैं और वह उन्हें साथ में नहीं रखना चाहती, इसलिए वह अलग रह रही है। साक्षी के कथन का प्रत्यर्थी की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।
- 8— प्रत्यर्थी जागेश्वर (अना.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। बिरसा का मकान उसके पिता के नाम की भूमि पर बना हुआ है, उक्त मकान उसके पिता के सहयोग से बना है। दहेज का सामान और जेवर आवेदिका के पास है। वह आवेदिका को अपने साथ रखना चाहता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसके दोनों बच्चे आवेदिका के पास रहते हैं और आवेदिका उसके बच्चों की परवरिश व भरण—पोषण कर रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह कृषि का कार्य करता है और मलाजखण्ड आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी में हेल्पर के पद पर कार्यरत् है और उसे प्रतिमाह 6,417 / —रूपये वेतन प्राप्त होता था। साक्षी का स्वतः कथन है कि वह वर्तमान में काम नहीं कर रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दहेज का सामान उसी के पास है। साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि वह हष्ट—पुष्ट व्यक्ति होकर हेल्पर का कार्य कर प्रतिमाह 6,417 / —रूपये वेतन प्राप्त करता रहा है। इसके अलावा उसके पास कुछ कृषि भूमि भी है।
- 9— आवेदिका ने अपनी साक्ष्य में उसकी स्त्रीधन की राशि एवं दहेज का सामान की मांग की है तथा दहेज के सामान के संबंध में लिस्ट पेश की गई है। प्रत्यर्थी ने अपनी साक्ष्य में दहेज के सामान उसके पास होना स्वीकार किया है। यद्यपि स्त्रीधन के संबंध में आवेदिका ने कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही कथित जेवर का कोई विवरण पेश किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के पास दहेज का सामान होना प्रमाणित है, किन्तु कथित स्त्रीधन व जेवर प्रत्यर्थी के पास होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है।
- 10— आवेदिका ने प्रत्यर्थी से उसके मकान में निवास आदेश का अनुतोष चाहा है। आवेदिका ने प्रत्यर्थी के निवासीय मकान को उसके नाम पर होने के संबंध में कोई

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रत्यर्थी के अनुसार उक्त मकान उसके पिता की भूमि पर पिता से सहयोग राशि लेकर बनाया गया है, जिसका खंडन आवेदिका पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। चूंकि प्रत्यर्थी अपने पिता के मकान में निवासरत् है और उसके पिता अभी जीवित हैं, ऐसी दशा में आवेदिका को अपने ससुर के मकान में निवासीय आदेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आवेदिका अपने पित के जीवित रहते हुए ससुर से भरण—पोषण या निवास हेतु मकान प्राप्त करने की हकदार नहीं है। यद्यपि मामलें में निवासीय आदेश को छोड़कर आवेदिका को प्रत्यर्थी से उसके स्वयं व बच्चों की परविश भरण—पोषण हेतु राशि तथा दहेज का सामान सूची अनुसार दिलाया जा सकता है।

- 11— प्रकरण में प्रस्तुत आवेदिका की साक्ष्य पर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा आवेदिका के साथ अधिनियम में उपबंधित धारा—3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा कारित की गयी है ।
- 12— आवेदिका के द्वारा प्रत्यर्थी से अधिनियम की धारा—20 के अंतर्गत मौद्रिक अनुतोष के अंतर्गत प्रत्यर्थी से भरण—पोषण राशि एवं सूची अनुसार दहेज का सामान वापसी की हकदार है। यदि आवेदिका वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत् होकर 1500/—रूपये प्रतिमाह आय अर्जित किया जाना मान लिया जाए, तब भी उक्त राशि से वह स्वयं और अपने बच्चों का उचित रूप से भरण—पोषण नहीं कर सकती है। आवेदिका के द्वारा यदि उक्त आय प्राप्त की भी जाती है, तब भी प्रत्यर्थी आवेदिका व उसके बच्चों के भरण—पोषण करने के अपने विधिक दायित्व से उन्मोचित नहीं हो सकता है। प्रस्तुत साक्ष्य से प्रत्यर्थी की मासिक आय लगभग 6,417/—रूपये प्रतिमाह होने की उपधारणा की जा सकती है। इसके अलावा प्रत्यर्थी को कृषि आय से भी कुछ आय प्राप्त होने की उपधारणा की जा सकती है।
- 13— प्रकरण में प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदिका के विरुद्ध घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रमाणित होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 एवं 22 के प्रावधान अंतर्गत आवेदिका को प्रत्यर्थी से मौद्रिक अनुतोष के रूप में भरण पोषण राशि, दहेज का सामान एवं वादव्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। आवेदिका उक्त अनुतोष के अन्तर्गत ऐसी राशि प्रत्यर्थी से प्राप्त करने की हकदार है, जो कि आवेदिका व उसके दो बच्चों के जीवन स्तर के निर्वहन हेतु न तो विलासिता पूर्ण हो

और न ही अभावग्रस्त हो बल्कि वह उसके पित के सामाजिक स्तर व चिरत्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके । अतएव आवेदिका का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के प्रावधान अंतर्गत निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जाता है:—

- (1) प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित करने से स्वयं तथा अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों को निवारित रखे।
- (2) प्रत्यर्थी भरण—पोषण के रूप में आवेदिका एवं उसके दो बच्चों को राशि 2,000 / —(दो हजार) रूपये प्रतिमाह आदेश दिनांक से अदा करे।
- (3) प्रत्यर्थी, आवेदिका को वाद व्यय के रूप में 1,000 / —(एक हजार) रूपये भी अदा करेगा।
- (4) प्रत्यर्थी एक माह के भीतर आवेदिका को सूची अनुसार दहेज का सामान वापस करें।

आदेश की प्रति निःशुल्क आवेदिका को प्रदान की जावे एवं एक प्रति आदेश का प्रतिपालन कराये जाने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बिरसा, जिला बालाघाट को प्रेषित की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट